भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोकसभा
अतारांकित प्रश्न सं.411
05 दिसम्बर, 2023 को उत्तर देने के लिए

खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाएं

411. कुमारी गोड्डेति माधवी:
श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी:
डॉ.बीसेट्टी वेंकट सत्यवती:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केंद्र सरकार ने 2021 में उत्तर प्रदेश, आध्रं प्रदेश और तमिलनाडु में सात खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाएं शुरू की हैं;

(ख) यदि हां, तो आध्रं प्रदेश में शुरू की गई परियोजनाओं की स्थिति का ब्यौरा क्या है तथा उनके समापन की संभावित तिथि क्या है तथा केंद्र सरकार द्वारा कितनी सहायता दी गई है;

(ग) आंध्र प्रदेश में परियोजनाओं की लागत और समय में वृद्धि होने के क्या कारण हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ड.) इन परियोजनाओं को समय पर पूरा किया जाना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा कौन-से कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री प्रहलाद सिंह पटेल)

(क) और (ख): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) स्वयं कोई खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित नहीं करता है। हालाँकि, यह अपनी योजना के माध्यम से ऐसे उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करता है । वर्ष 2021 के दौरान उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में स्थित कुल 15 खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं को सहायता के लिए अनुमोदित किया गया है। इनमें से, आंध्र प्रदेश में स्थित 7 परियोजनाओं की विस्तृत स्थिति **अनुबंध** में दी गई हैं।

(ग) से (ङ): इन परियोजनाओं के लिए मंत्रालय द्वारा अनुमोदित वित्तीय सहायता में कोई वृद्धि नहीं हुई है। संबंधित योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, ऐसी परियोजनाओं को अनुमोदन पत्र जारी होने के 20 महीने के भीतर पूरा किया जाना है। हालाँकि, कोविड संबंधी प्रतिबंधों सहित विभिन्न कारणों से इनमें से कुछ परियोजनाओं के पूरा होने में देरी हुई है।

एमओएफ़पीआई ने इन परियोजनाओं के समय पर कार्यान्वयन के लिए विभिन्न उपाय किए हैं, जिनमें शामिल हैं (i) परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी के लिए डैशबोर्ड; (ii) कार्यान्वयन में आने वाली बाधाओं को दूर करने में मदद के लिए प्रमोटरों के साथ नियमित रूप से समीक्षा; (iii) परियोजनाओं के पूरा होने में होने वाली देरी को रोकने के लिए वर्चुअल साइट विजिट के माध्यम से उनकी प्रगति का आकलन करना; (iv) परियोजनाओं के लिए सावधि ऋण की मंजूरी और वितरण में तेजी लाने के लिए बैंकों/वित्तीय संस्थानों के साथ मुद्दे उठाना; (v) परियोजनाओं के देरी से पूरा होने की स्थिति में प्रमोटरों के लिए दंडात्मक प्रावधान।

*****

अनुबंध

खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं बारे में दिनांक 05.12.2023 को लोक सभा में पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 411 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

<u>वर्ष 2021 में आंध्र प्रदेश में स्थित प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना की संबंधित योजनाओं के तहत स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण</u>

(करोड़ रुपये में)

घटक योजना- एकीकृत शीत श्रृखला और मूल्य संवर्धन अवसंरचना योजना							
क्र.सं	**परियोजना**	**अनुमोदन का दिनांक**	**पूरा होने की तारीख**	**परियोजना की लागत**	**स्वीकृत अनुदान सहायता**	**सहायता अनुदान जारी किया गया**	**स्थिति**
1	अपर्णा मरीन एक्सपोर्टस	31.03.2021	03.02.2023	40.67	9.53	9.53	प्रचालनरत
2	मुलपुरी एक्वा प्रोसेसर्स	31.03.2021	23.03.2023	37.07	10.00	9.58	प्रचालनरत
3	मेकवर्ल्ड मरीन्स एंड एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	31.03.2021	-	28.22	10.00	6.27	कार्यान्वयन के अंतर्गत
4	वैसाखी बायो मरीन प्रा. लिमिटेड	31.03.2021	-	44.16	10.00	0.00	कार्यान्वयन के अंतर्गत
5	कृष्णा कोस्टल फूड्स प्रा. लिमिटेड	31.05.2021	-	6.65	1.57	1.06	कार्यान्वयन के अंतर्गत
6	कृष्णा डिस्ट्रिक्ट मिल्क प्रोड्यूसर्स म्युचुअली एडेड को-ऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड	31.03.2021	-	80.48	10.00	0.00	कार्यान्वयन के अंतर्गत
7	सूक्ष्मा गामा एलएलपी	31.03.2021	-	24.77	8.38	5.39	कार्यान्वयन के अंतर्गत